



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269399
CG-DL-E-16012026-269399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2026/पौष 26, 1947

No. 228]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2026/PAUSHA 26, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

का.आ. 256(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, यह निदेश देती हैं कि, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव, पुडुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक (चाहे वह उप-राज्यपाल या प्रशासक के नाम से ज्ञात हों), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश होने तक, अपने-अपने संबंधित संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर, ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का 21) के अधीन राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू – 11030/3/2025-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2026

S.O. 256(E).— In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator (whether known as the Lieutenant Governor or the Administrator) of the Union territories of Lakshadweep, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Puducherry and Jammu and Kashmir shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the power and discharge the functions of the State Government under the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 (21 of 1954) within their respective Union territories.

[F. No. U-11030/3/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.